डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] रायपुर, शनिवार , दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 है.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

धारा 4 में संशोधन.

2. धारा 4 की उपधारा (1) की कंडिका (एक) में प्रविष्टियां (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

(क)	रुपये एक सौ पचास से कम	निरंक
(ख)	रुपये एक सौ पचास या अधिक, परंतु रुपये पांच सौ से अधिक नहीं.	प्राप्त राशि का 5%

(ग)	रुपये पांच सौ से अधिक	प्राप्त राशि का 10%

उद्देश्यों एवं कारणों का अभिकथन

यह विधेयक वित्त वर्ष 2002-2003 के बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 20 मार्च, 2002.

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 की वर्तमान धारा का अंश

धारा 4 की उपधारा (1) की कंडिका (एक) में प्रविष्टियां (क) एवं (ख)—

(क)	रुपये एक सौ पचास या अधिक परंतु रुपये तीन सौ से अधिक नहीं	प्राप्त राशि का 5%
(ख)	रुपये तीन सौ से अधिक	प्राप्त राशि का 10%

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.